

पत्रांक:-...../

पटना, दिनांक:-.....

सचिका संख्या-03/उ0नि0/प्रशिक्षण केन्द्र भवन (नवादा)-01/19

सेवा में,

महालेखाकार (ले0 एवं ह0)
बिहार, पटना।

विषय:- वित्तीय वर्ष 2019-20 अन्तर्गत जिला नवादा में उद्योग विभाग, बिहार, पटना के अधीन अधिग्रहित भूमि (खाता सं0-118 प्लॉट सं0-3133, खाता सं0-221 प्लॉट सं0-3134, खाता सं0-414 प्लॉट सं0-3135, खाता सं0-117 प्लॉट सं0-3136 एवं खाता सं0-221 प्लॉट सं0-3137) के कुल रकवा 0.87 एकड़ भू-खण्ड पर प्रशिक्षण केन्द्र भवन (छात्रावास सहित) निर्माण कार्य की योजना आधारभूत संरचना विकास प्राधिकार (आयडा), पटना द्वारा तैयार पी0पी0आर0 के अनुसार कुल ₹778.49 लाख (सात करोड़ अठहत्तर लाख उन्चास हजार रूपये) मात्र की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति के संबंध में।

आदेश :- स्वीकृत।

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि वित्तीय वर्ष 2019-20 अन्तर्गत जिला नवादा में वर्ष 1987 में उद्योग विभाग, बिहार, पटना के अधीन अधिग्रहित भूमि (खाता सं0-118 प्लॉट सं0-3133, खाता सं0-221 प्लॉट सं0-3134, खाता सं0-414 प्लॉट सं0-3135, खाता सं0-117 प्लॉट सं0-3136 एवं खाता सं0-221 प्लॉट सं0-3137) के कुल रकवा 0.87 एकड़ भू-खण्ड पर प्रशिक्षण केन्द्र भवन (छात्रावास सहित) निर्माण कार्य की योजना आधारभूत संरचना विकास प्राधिकार (आयडा), पटना द्वारा तैयार पी0पी0आर0 के अनुसार कुल ₹778.49 लाख (सात करोड़ अठहत्तर लाख उन्चास हजार रूपये) मात्र की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. समाहर्ता, नवादा के पत्रांक-361, दिनांक-04.07.2019 के आलोक में विभागीय स्थायी वित्त समिति द्वारा दिनांक-26.07.2019 के सम्पन्न बैठक में यह निर्णय लिया गया कि उक्त प्रशिक्षण केन्द्र-सह-छात्रावास भवन का निर्माण कार्य कराया जाय।

3. उक्त प्रशिक्षण केन्द्र भवन-सह-छात्रावास भवन निर्माण कार्य का कार्यान्वयन एजेंसी आधारभूत संरचना विकास प्राधिकार (आयडा), पटना को नामित किया गया है। भवन निर्माण कार्य आयडा, पटना द्वारा उपलब्ध नक्शा के अनुरूप किया जायेगा।

4. यह राज्य सरकार की नई योजना है।

5. उक्त राशि का व्यय वहन वित्तीय वर्ष 2019-20 में मुख्यशीर्ष-2852 उद्योग, उपमुख्य शीर्ष-80 सामान्य, लघु शीर्ष-102 औद्योगिक उत्पादकता, उपशीर्ष-0163, व्यापार, वाणिज्य एवं उद्योग के अग्रसरण हेतु अन्य आधारभूत संरचनाओं का सृजन विकास एवं रख-रखाव-बिहार व्यापार विकास कोष, मॉग सं0-23, विपत्र कोड-23-2852.80.102.0163 अन्तर्गत विषय शीर्ष-0163.27.01 लघु कार्य मद में उपबंधित राशि से विकलित होगा, जिसके लिए यथेष्ट बजट उपबंध उपलब्ध हैं।

6. इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी सहायक उद्योग निदेशक, (लेखा) उद्योग निदेशालय, बिहार, पटना होंगे, जो सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना से राशि की निकासी कर आधारभूत संरचना विकास प्राधिकार (आयडा), उद्योग भवन, पूर्वी गॉंधी मैदान, पटना के पी0एल0ए0 खाता सं0-268 में उपलब्ध करायेंगे।

7. इस योजना के मुख्य नियंत्री पदाधिकारी उद्योग निदेशक, बिहार, पटना होंगे, जो इस योजना का अनुश्रवण करेंगे।

8. राशि की निकासी बी0टी0सी0 फार्म सं0-46 पर की जायेगी। राशि की निकासी में वित्त विभागीय पत्रांक-8244, दिनांक-02.08.10 एवं पत्रांक-500, दिनांक-18.01.11 में निहित अनुदेश का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

9. प्रस्ताव में विभागीय मंत्री, का अनुमोदन सं0सं0-03/उ0नि0/प्रशिक्षण केन्द्र भवन (नवादा)-01/19 के पृष्ठ-04/टि0 पर दिनांक-09.07.2019 को प्राप्त है। जिसका गै0स0प्र0सं0-200, दिनांक-09.07.2019 है। प्राक्कलन राशि एवं नक्शा पर माननीय मंत्री उद्योग का अनुमोदन प्राप्त है। क्रमशः पृष्ठ-02

10. स्वीकृत्यादेश प्रारूप पर सचिव, उद्योग विभाग, बिहार, पटना की स्वीकृति संचिका संख्या-03/उ0नि0/प्रशिक्षण केन्द्र भवन (नवादा)-01/19 के पृष्ठ-09/टि0 पर दिनांक-30.07.2019 को प्राप्त है। जिसकी डायरी सं0-1596/IDC, दिनांक-30.07.2019 है।
11. स्वीकृत्यादेश प्रारूप पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति सं0सं0-03/उ0नि0/प्रशिक्षण केन्द्र भवन (नवादा)-01/19 के पृष्ठ-11/टि0 पर दिनांक-31.07.2019 को प्राप्त है।
12. वित्त विभागीय पत्रांक-2561 दिनांक-17.06.98 की कंडिका-2 का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा एवं राशि की निकासी वित्त विभागीय पत्रांक-8244 दिनांक-02.08.2010 के दिशा निदेशों का अनुपालन किया जायेगा।
13. वित्त विभागीय पत्रांक:-7355/वि0(2), दिनांक:-05.10.2007 के आलोक में इस राशि की निकासी हेतु महालेखाकार से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,
ह0/-
(प्रदीप कुमार)
अपर सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।
पटना, दिनांक.....

ज्ञापांक...../
संचिका संख्या-03/उ0नि0/प्रशिक्षण केन्द्र भवन (नवादा)-01/19

प्रतिलिपि:-कोषागार पदाधिकारी, नया सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

(प्रदीप कुमार)

अपर सचिव,

उद्योग विभाग, बिहार, पटना।
पटना, दिनांक.....

ज्ञापांक...../
संचिका संख्या-03/उ0नि0/प्रशिक्षण केन्द्र भवन (नवादा)-01/19

प्रतिलिपि:-सहायक उद्योग निदेशक (लेखा), उद्योग निदेशालय को (दो प्रतियों में) सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

(प्रदीप कुमार)

अपर सचिव,

उद्योग विभाग, बिहार, पटना।
पटना, दिनांक.....

ज्ञापांक...../
संचिका संख्या-03/उ0नि0/प्रशिक्षण केन्द्र भवन (नवादा)-01/19

प्रतिलिपि:-महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, सारण (छपरा) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

(प्रदीप कुमार)

अपर सचिव,

उद्योग विभाग, बिहार, पटना।
पटना, दिनांक.....

ज्ञापांक.....3022...../
संचिका संख्या-03/उ0नि0/प्रशिक्षण केन्द्र भवन (नवादा)-01/19

प्रतिलिपि- महालेखाकार (लेखा परीक्षा), बिहार, पटना/वित्त विभाग, बिहार, पटना/योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/उद्योग निदेशक, बिहार, पटना/जिला पदाधिकारी/समाहर्ता, नवादा/महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, नवादा/आय-व्ययक पदाधिकारी, उद्योग निदेशालय/आधारभूत संरचना विकास प्रधिकार, पटना/बजट शाखा, उद्योग विभाग/आई0टी0 प्रबंधक, उद्योग विभाग, बिहार, पटना/प्रशाखा-01 योजना (स0), उद्योग विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(प्रदीप कुमार)

अपर सचिव,

उद्योग विभाग, बिहार, पटना।